

कृषि महाविद्यालय श्रीगंगानगर में एग्रीफेस्ट 2026 का सफल आयोजन, विद्यार्थियों ने दिखाई सांस्कृतिक प्रतिभा

सीमा किरण

श्रीगंगानगर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीनस्थ कृषि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर में दो दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव एग्रीफेस्ट 2026 का आयोजन 27-28 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कृषि संकाय के विद्यार्थियों ने रंगोली, आशु भाषण, वाद-विवाद, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग, गायन एवं नृत्य जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. बी.एस. मीणा ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लेने और अपनी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया। सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. सीमा चावला ने



कार्यक्रम का संचालन कुशलतापूर्वक किया। उनके सहयोगी के रूप में महाविद्यालय स्टाफ के डॉ. रूप सिंह मीणा, डॉ. रविन्द्र, डॉ. सुरजान, डॉ. कैलाश एवं डॉ. योगिता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दोनों दिनों तक चले इस सांस्कृतिक उत्सव में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अंतिम दिन सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए गए और विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कृषि विद्यार्थियों लोकेन्द्र, हेमन्त एवं रुद्र

प्रताप का विशेष सहयोग रहा।

कार्यक्रम के समापन पर डॉ. सीमा चावला ने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होते हैं।

एग्रीफेस्ट 2026 ने न केवल विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने का मंच दिया, बल्कि महाविद्यालय परिसर में सकारात्मक और रचनात्मक माहौल भी बनाया।

हाईकोर्ट: 3 साल बाद भी आइसीएआर की मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया

प्रदेश के 42 निजी कृषि कॉलेजों में प्रवेश पर रोक, जेट-2026 काउंसलिंग से बाहर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

उदयपुर. राज्य में पिछले तीन वर्षों से नियम और तय मानकों के बिना संचालित हो रहे निजी कृषि महाविद्यालयों पर कृषि विभाग के बाद अब हाईकोर्ट ने भी शिकंजा कस दिया है। वर्ष 2022 की राज्य कृषि शिक्षा नीति की अनिवार्य शर्तों का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने कृषि विभाग की ओर से इनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट की ओर से सात प्रमुख निजी कृषि कॉलेजों की याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया कि प्रदेश के लगभग 42 निजी कृषि कॉलेजों में इस शैक्षणिक सत्र नए दाखिले नहीं होंगे। इनमें 31 निजी कृषि कॉलेज व 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कृषि कॉलेज शामिल हैं।

पढ़ें प्रदेश @ पेज 04

इन 7 कॉलेजों की याचिकाएं खारिज



- एसकेडी कृषि कॉलेज (हनुमानगढ़)
- श्री विनायक कृषि कॉलेज (जयपुर)
- एसएलबीएस कृषि कॉलेज (जोधपुर)
- श्रीनाथजी कृषि कॉलेज (नाथद्वारा)
- एपेक्स कृषि संस्थान (कोटा)
- ब्राइट कैरियर कृषि कॉलेज (नोखा)
- सौरभ कृषि कॉलेज (हिंडौन)

काउंसलिंग के बीच विभाग ने रोकी थी एनओसी

बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि की ओर से जेट काउंसलिंग-2026 के बीच ही कृषि आयुक्त ने 10 अक्टूबर को नियमों की अनदेखी करने वाले कॉलेजों की सत्र 2026-27 के लिए एनओसी विस्तार याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ निजी कृषि कॉलेजों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विकल्प फॉर्म भरने की

अंतिम तिथि से ठीक पहले रविवार देर रात न्यायाधीश नूपुर भाटी ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद विभाग ने 42 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। प्रशासनिक आदेश और अदालती रुख के अनुसार, इन कॉलेजों में पहले से अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे।

इनका उल्लंघन...

1 विभागीय जांच में सामने आया कि ये कॉलेज 20 सितंबर 2022 की नीति के खंड 8.2 के तहत तय अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे।

2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मान्यता के लिए निर्धारित समय-सीमा में आवेदन तक नहीं।

3 तय पैमानों के अनुरूप योग्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां नहीं।

4 स्टाफ को नियमित वेतन भुगतान, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्य व्यवस्था का पालन नहीं।

5 कई कॉलेजों की आधिकारिक वेबसाइट तक नहीं बनी थी, और जिनकी बनी थी, उन्होंने आवंटित छात्रों से जुड़ी अनिवार्य जानकारीयां वेबसाइट पर अपलोड नहीं की।